E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(3): 261-264
Received: 18-04-2021
Accepted: 24-06-2021

डॉ. प्रतिभा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर,
गृहविज्ञान, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. प्रतिभा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर,
गृहविज्ञान, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ, उत्तर प्रदेश, भारत

लैंगिक असमानता का बालिकाओं के विकास पर प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. प्रतिभा पाल

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत बालिकाओं को केंद्रीय स्थिति में रखा गया है तथा जेंडर असमानता के विषय में बालिकाओं के विकास से संबंधित सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया है। पूर्व में हुई कई शोधों के परिणामों को आधार मानते हुए इस अध्ययन के अंतर्गत बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास उनकी सामाजिक स्थिति तथा अन्य स्तरों पर बालकों की तुलना में किए जाने वाले विभेदो को मुख्य आधार बनाया गया है। अतः बालिका सशक्तीकरण की दिशा में यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

मूल शब्द: जेंडर असमानता, बालिका साक्षरता, बालिका स्वास्थ्य।

प्रस्तावना
लैंगिक असमानता से तात्पर्य लिंग के आधार पर उत्पन्न असमानताओ से है। किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए लिंग आधारित भेदभाव अथवा लैंगिक विषमता सबसे वृहद अभिशापों में से एक है। क्योंकि किसी भी समृद्ध राष्ट्र का विकास बालक तथा बालिकाओं में विभेद करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। भारतीय परंपरा में प्राचीन वेदों तथा उपनिषदों में भी पुरुष तथा महिलाओं को एक समान स्थान दिया गया है इनके अनुसार पुरुष तथा महिला एक ही रथ के दो पहिए के समान है जिस प्रकार एक पहिए की अनुपस्थिति में रथ को चलायमान रख पाना असंभव होता है उसी प्रकार महिलाओं अथवा बालिकाओं की अनुपस्थिति के बिना एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। परंतु भारतवर्ष की पितृसत्तात्मक विशेषता ऐसे वक्तव्य को सिरे से खारिज कर देती है जिसका परिणाम यह है कि *21*वीं सदी में जीवन यापन करने के दौरान भी लैंगिक असमानता की जड़े क्षीण होने के स्थान पर मजबूत होती रही हैं।

वर्तमान मे भी समय-समय पर लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दे पत्रिकाओं समाचार, पत्रों या अखबारों की सुर्खियों में दिखाई देते हैं। भारत में आज भी व्यवहारिक स्तर पर पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है। बालिकाओं को सामाजिक तथा पारिवारिक रूढ़ियों के परिणाम स्वरूप बालकों की तुलना में कम अथवा ना के बराबर अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे बालिकाओं के व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त बालिकाएं घर तथा समाज में प्रत्येक स्तर पर शोषण, अपमान तथा भेदभाव से पीड़ित होती हैं जो विश्व भर के लिए एक चिंता का विषय है। इससे अधिक भयावहता यूनेस्को की एक रिपोर्ट के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं इसके अनुसार भारत में प्रति वर्ष एक लाख कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। संपूर्ण विश्व का 3/5 भाग शिक्षा से वंचित बालिकाओं का है । संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा के पैमाने पर भारत जिम्बाब्वे, म्यामार, पापुआ न्यू गिनी तथा इराक जैसे देशों से भी पिछड़ी अवस्था में है।

तालिका 1: दक्षिण एशियाई देशों में साक्षरता की स्थिति

देश	साक्षरता प्रतिशत	
	पुरुष	महिला
भारत	69.0	48.4
बांग्लादेश	50.3	31.4
नेपाल	61.4	26.4
पाकिस्तान	53.4	28.4
श्रीलंका	94.7	89.6
सार्क देश	71.0	53.2

तालिका एक में दर्शाए गए आंकड़े पुरुष तथा महिलाओं की साक्षरता की प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर महिलाओं की साक्षरता दर में कमी देखी जा सकती हैं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्थिति श्रीलंका तथा सार्क जैसे देशों से भी कम है।

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित असमानता का मूल्यांकन करना है जिसके अंतर्गत बालिकाओं को केंद्रीय स्थिति में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन को दो भागो में विभक्त करके समझने का प्रयास किया गया है जो निम्न है।

(1) लैंगिक असमानता की पृष्ठभूमि को समझना।
(2) लैंगिक असमानता का बालिकाओं पर प्रभाव को समझना ।

व्याख्यात्मक विश्लेषण

लैंगिक असमानता की पृष्ठभूमि

लिंग के आधार पर बालक तथा बालिकाओं में विभेद की परंपरा सदियों पुरानी है परंतु 1947 में भारत वर्ष की की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह आशा की जाने लगी थी कि लैंगिक आधार पर उत्पन्न असमानताओ को समूल समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु भारतवर्ष में लैंगिक असमानता की यह स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिस के सबसे वृहद कारणों के रूप में पितृसत्तात्मक समाज द्वारा निर्मित की गई मनगढ़ंत रूढ़ीवादी परंपराएं।

1. आर्थिक स्तर पर असमानता- आर्थिक स्तर पर लिंग असमानता को समझने के लिए उन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा जिन्हें हम प्रतिदिन अपने जीवन में घटते हुए देखते है । प्राय यह देखा जाता रहा है कि बालक तथा बालिकाओं में विभेद शैक्षिक स्तर पर विषयों के चयन के दौरान भी देखने को

मिलता है। अभिभावकों तथा समाज द्वारा उसे गृह विज्ञान जैसे विषयों को चयन करने हेतु प्रेरित किया जाता है जबकि इसके विपरीत बालक को जीव विज्ञान गणित या वाणिज्य जैसे वर्गों को चुनने की हिदायत दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर खेलों के दौरान भी यह विभेद सामने आता है जब बालिकाओं को हल्के फुल्के श्रम वाले खेल खेलने हेतु चयनित किया जाता है जबकि अधिक श्रम वाले खेलों हेतु बालकों का चयन होता है

2. पारिवारिक स्तर पर असमानता- पारिवारिक स्तर पर प्राय यह देखा गया है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले बालक तथा बालिकाओं में विभेद किया जाता है। यह स्थिति पारिवारिक स्तर पर बाल्यावस्था के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है जब अभिभावकों द्वारा बालक को खेलने के लिए गाड़ी या बंदूक खिलौने के रूप में दिया जाता है जबकि इसके विपरीत बालिकाओं को खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया दिलवाए जाते हैं।
3. सामाजिक स्तर पर असमानता - भारतीय समाज में बालिकाओं को घरेलू कार्यों के लिए ही उपयुक्त समझा जाता है। इन्हें प्राय बच्चों के लालन-पालन तथा परिवारिक सदस्यों हेतु भोजन प्रबंध जैसी व्यवस्थाओं तक ही सीमित रखा जाता है। जबकि घर के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में बालिकाओं की सहमति या असहमति को स्वीकार नहीं किया जाता।
4. राजनीतिक स्तर पर असमानता - प्राय यह देखा गया है कि सभी राजनीतिक दल या पार्टियां अपने लोकतांत्रिक स्वरूप में समानता का दावा करती हैं परंतु अपनी पार्टी या दल में महिला प्रत्याशियों को न तो चुनावी टिकट दिए जाते हैं और ना ही पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर चयनित की जाती हैं।

लैंगिक असमानता का बालिकाओं के विकास पर प्रभाव

1. व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव- बालिकाओं के प्रति सामाजिक कुरीतियां तथा पारिवारिक भेदभाव उनके व्यक्तित्व विकास को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभावित करती हैं। अधिक संवेदनशील बालिकाएं हीन भावना, कुंठा, डिप्रेशन तथा अवसाद जैसी स्थितियों से ग्रसित हो जाती हैं। कई स्थितियों में अवसाद ग्रस्त बालिकाएं जीवन लीला समाप्त कर लेने या आत्महत्या जैसे भयावह कदमो का सहारा लेती हैं। बालिकाओं के प्रति समाज की बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति, लिंग आधारित असमानता, बालिकाओं के प्रति शोषण तथा घरेलू मारपीट जैसे प्रकरण में बालिकाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं।
2. स्वास्थ्य पर प्रभाव- स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं पाने के अधिकार पर बालक तथा बालिकाओं का समान अधिकार होता है परंतु इससे संबंधित आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य के स्तर पर भी बालक तथा बालिकाओं में विभेद एक बहुत बड़े अंतराल के रूप में विद्यमान है। जिसे नवजात बालिकाओं की अन्य वर्गो को तुलना मे सर्वाधिक मृत्यु दर के रूप में समझा जा सकता है। भारत में बालिकाओं की पोस्टिक ग्रहणशीलता 1400 कैलोरी है जबकि आवश्यक जरूरत 2200 कैलोरी जिसके फलस्वरूप कई बालिकाएं खून की कमी, पौष्टिकता का अभाव तथा कम वजन से ग्रसित पाई जाती हैं। हालांकि भारतवर्ष में बालिकाओं की न्यूनतम वैधानिक आयु विवाह हेतु 18 वर्ष निर्धारित की गई है परंतु वैधानिक नियमों के बावजूद भी कम उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। विवाह की वैधानिक आयु से कम उम्र की आयु में बालिकाओं का शीघ्र विवाह कर देने के परिणाम स्वरूप

बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती ही है बल्कि छोटी उम्र में ही गर्भधारण जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार अल्प पोषण तथा अल्प आयु में कई बालिकाओं को गर्भपात जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ जाता है जिसका व्यापक प्रभाव बालिका की शारीरिक क्रियाओं पर भी पड़ता है।

3. सामाजिक स्थिति पर प्रभाव- बालिकाओं के प्रति लिंगीय विभाजनकारी सोच के परिणाम स्वरूप ही उनके प्रति सम्मान प्रकट करने तथा उनके मनोभावों को महत्व देने संबंधी प्रतिक्रियाओं में कमी देखने को मिलती है। जिसके केंद्र में बालिका के भविष्य को रखते हुए कई सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बालिका का शोषण तथा अशिक्षा जैसी गंभीर चुनौतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार के रूढ़िवादी समाज में रहते हुए बालिकाएं खुद को अलग-थलग महसूस करती है तथा समाज में अपना कोई भी स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।
4. आर्थिक स्थिति पर प्रभाव- किसी भी कार्य स्थल पर समान कार्य करते हुए भी अल्प वेतन पाना तथा घर पर बालिकाओं को साझीदार व उत्तराधिकार द्वारा कार्य करने से भी रोक दिया जाता है। पारिवारिक स्तर पर बालिकाओं द्वारा घर के सारे कार्य संपन्न करवाए जाते हैं जिसमें उनका शारीरिक श्रम भी सम्मिलित होता है जबकि इनकी तुलना में बालकों द्वारा घरेलू कार्य में संलग्नता देखने को नहीं मिलती है ।
5. सम्मान से संबंधित स्थिति पर प्रभाव सम्मान हेतु हत्या बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा का एक अन्य रूप है जिसे प्राय परिवार तथा समाज के भीतर घटित होते हुए देखा जा सकता है। बालिकाओं पर हिंसा का प्रभाव दीर्घकालिक विविधा शारीरिक, लैंगिक तथा मानसिक दुष्परिणामों के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यत है ऐसे कारणों में राजी से विवाह करने से मना करना, ऐसे संबंधों में रहना जिसे परिवार द्वारा अनुमोदन नहीं मिला है, बलात्कार की पीड़ित होना तथा ऐसे वस्त्र पहनना जिन्हें परिवार तथा रूढ़ीवादी समाज द्वारा अनुकृत माना जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर संपूर्ण अध्ययन की विवेचना करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि लिंग आधारित भेदभाव आज भी एक जटिल समस्या के रूप में विद्यमान है इससे न सिर्फ भारत ही बल्कि संपूर्ण विश्व परिचित है। पितृसत्तात्मक समाज में बालिकाएं अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। हालांकि समय-समय पर सामाजिक संस्थाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं व नियम अमल में लाए गए हैं परंतु उनका शत प्रतिशत लाभ नहीं मिल सका है। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा पितृसत्तात्मक समाज की सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है अतः बालिका साक्षरता की दिशा में विशेष तौर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. मानव विकास रिपोर्ट 2004
2. जेंडर विद्यालय और समाज, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी
3. जोसेफ गठिया, मीडिया और सामाजिक बदलाव, कंसेप्ट पब्लिकेशन कंपनी